

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा  
एस. सा. ओ. 16-17, सैक्टर-20 डी,  
चण्डीगढ़

83(2225)

अधिसूचना

न० 1969/एस०ई०सी०/-ई111/95

दिनांक 13-1-95

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो सदस्य जिला परिषद कैथल जिला कैथल के सदस्य चुने गये हैं, अधिसूचित किये जाते हैं:-

क्रमांक	वार्ड न०	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	वर्ग/सा०/आरक्षित
1.	2.	3.	4.
1	1	खजानी पत्नी पाला राम	
2	2	भूरो पत्नी राम पाल	
3	3	कर्मवीर पुत्र पूर्णसिंह	
4	4	सुरेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण	
5	5	बलबीर सिंह पुत्र ईश्वर	
6	6	बदन सिंह पुत्र केहर सिंह	
7	7	चन्द्रभान पुत्र पूर्णा	
8	8	औम प्रकाश पुत्र सेवा राम	
9	9	रामकिशन पुत्र नाथी राम	
10	10	किरणलता पत्नी बाबू राम	
11	11	औम प्रकाश पुत्र सुरता	
12	12	मसजीत कौर पत्नी महिन्द्र	
13	13	बचन सिंह पुत्र धानू राम	
14	14	जोगा सिंह पुत्र सन्ता सिंह	
15	15	पन्मेशवरी पत्नी रामकिशन	
16	16	दिहिता राम पुत्र फौजा सिंह	
17	17	नरेन्द्र कौर पत्नी गुरमेल सिंह	

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 1740 आफ 1994 में दिनांक 21.12.94 को पारित आदेशो के अनुसार उपरोक्त परिणाम इस याचिका के परिणाम पर आधारित होंगे।

जे. के. दुग्गल  
राज्य निर्वाचन आयुक्त  
हरियाणा, चण्डीगढ़